न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.),आसीन्द जिला–भीलवाडा

बजरिये श्री सी.एल.शर्मा आर.ए.एस.

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	63/2021
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2021/56
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	01.01.2021
प्रकरण निर्णय होने की दिनांक	15.03.2021

अनवान

1–सीताराम पुत्र गोपी राव (शर्मा) नि.पालड़ी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा — प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2.शिवलाल पि.गोपी गोपी राव (शर्मा) नि.पालड़ी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3.सुरेश पि.गोपी राव (शर्मा) नि.पालड़ी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— अप्रार्थी

उपस्थित –अधिवक्ता प्रार्थी	श्री दूधाराम कुमावत
उपस्थित- अधिवक्ता अप्रार्थी	पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

:: निर्णय ::

(1) प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया है कि निम्नाकिंत कृषि भूमि प्रार्थी एंव अप्रार्थीगणों के नाम शामलाती खाते में दर्ज रेकार्ड है –

ग्राम पालड़ी पटवार हल्का पालड़ी तहसील आसीन्द संवत 2074-77

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा	आराजी नम्बर	रकबा	आराजी नम्बर	रकबा
523	1704	0.02	1705	0.58	1706	0.03
	1725	0.28	1730	0.45	1731	0.27
	1732	0.23	1733	[illegible]	1763	0.50
	1765	0.14	1766	[illegible]	1767	0.25
कुल योग						3.32

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:34:20 IST
Reason: SelfAttested

(2) उक्त भूमि प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता ग[illegible] पुत्र फूलचन्द राव व अन्[illegible] जमाबन्दी संवत 2050 से 2053 में दर्ज है । प्रार्थी के पिता गोपी की मृत्यु पर विरासत के नामान्तरण संख्या 68 निर्णय दिनांक 31.12.1994 में प्रार्थी के वास्तविक नाम सीताराम पुत्र गोपी

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाडा

के बजाय सत्यनारायण पि.गोपी दर्ज कर दिया गया जो अशुद्ध है। प्रार्थी का वास्तविक नाम सीताराम पुत्र गोपी है इसी नाम से राशन कार्ड ,आधार कार्ड आदि दस्तावेज है।

(3) राजस्व रेकार्ड में गोपी की विरासत का नामान्तरण होने के वक्त प्रार्थी नाबालिग होने से अपना पक्ष रखने में भी असमर्थ रहा था तथा प्रार्थी का नाम आगामी रोटेशन में भी सीताराम पुत्र गोपी के बजाय सत्यनारायण पुत्र गोपी दर्ज हो गया जो सदभाविक त्रुटी है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है।

(4) अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थी का नाम सत्यनारायण पुत्र गोपी के बजाय सीताराम पुत्र गोपी दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

(5) प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम की विधिवत रूप से रूक-रूक कर आवाज लगवायी जाने पर उनके उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये जाते है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पैराकार सरकार ने उपस्थित न्यायालय होकर कथन किया कि प्रकरण में कोई राज हित प्रभावित नहीं है ऐसे में प्रार्थी का नाम शुद्व किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

(6) प्रकरण में वकील प्रार्थी की इस्तदुआ पर एक पक्षीय बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में सत्यनारायण पि.गोपी के बजाय सीताराम पि.गोपी दर्ज किया जाना न्याय संगत है।

(7) बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों / प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उनके पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट की छाया प्रति / विधालय स्थानान्तरण पत्र की छाया प्रति /ग्राम पंचायत पालड़ी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छाया प्रति /दसवी कक्षा की अंक तालिका की छाया प्रति / पेनकार्ड की छाया प्रति / आधार कार्ड की छाया प्रति का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रार्थी का सही नाम सीताराम पि.गोपी होना प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है -

◂ क्रियात्मक आदेश ▸

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर निम्नाकिंत कृषि भूमि में दर्ज प्रार्थी के नाम सत्यनारायण पि.गोपी के बजाय संशोधन किया जाकर सीताराम पि.गोपी के रूप में अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:34:20 IST
Reason: SelfAttested

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा	आराजी नम्बर	रकबा	आराजी नम्बर	रकबा
523	1704	0.02	1705	0.58	1706	0.03
	1725	0.28	1730	0.45	1731	0.27
	1732	0.23	1733	0.22	1763	0.50
	1765	0.14	1766	0.35	1767	0.25
कुल योग				किता 12 रकबा 3.32		

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल-दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से की जावें एंव दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सी.एल.शर्मा)
सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड आसीन्द जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / रीडर / 2021 / 121 दिनांक 16.3.2021

प्रतिलिपीः- तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णय की पालना में राजस्व रेकार्ड में आवश्यक इन्द्राज करा पालना रिपोर्ट मय राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियों के इस न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:34:20 IST
Reason: SelfAttested